

बालिका सुरक्षा अभियान में 11 स्कूल/कालेजों में 6796 छात्राओं को किया गया जागरूक—

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में जुलाई माह दिनांक 01.07.19 से 31.07.19 तक चलाये जा रहे बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.07.19 को जनपद के 10 थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों/कालेजों क्रमशः थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा श्याम कन्हैयालाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 110 छात्राओं, थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम व महिला थाना द्वारा डॉन वास्को में 1356 छात्राओं, थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा जूनियर हाई स्कूल में 102 छात्राओं, थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा शिवबाबा इन्टर कालेज में 418 छात्राओं, थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा अवध पब्लिक स्कूल में 250 छात्राओं, थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सेंट जेवियर्स स्कूल में 1435 छात्राओं, थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा हरिनन्दन अम्बेडकर इन्टर कालेज में 600 छात्राओं, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा बी0आर0के0 इन्टर कालेज में 435 छात्राओं, थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा बाबा परमहंस शिक्षण संस्थान में 90 छात्राओं, थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम व साइबर टीम द्वारा अमृत पब्लिक स्कूल, पुरुषोत्तम महाविद्यालय में क्रमशः 1140-860 छात्राओं सहित कुल 11 स्कूलों/कालेजों में 6796 छात्राओं को महिला सुरक्षा उपाय, यूपी-100, 1090 वूमेन पावर लाईन, 181 महिला हेल्पलाईन, महिला प्रकोष्ठ तथा सुरक्षा के लिये क्या-क्या ध्यान देने योग्य बातों के सम्बन्ध में अहम जानकारियां दी गयी। इस दौरान भारी संख्या में स्कूल/कालेज के छात्राओं सहित अध्यापकगण उपस्थित रहे।

शांति भंग की आशंका में 11 व्यक्ति गिरफ्तार—

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 30.07.19 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा ओमप्रकाश पुत्र पतिराज, संजीव पुत्र सत्यराम, शुभम पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण शक्करपुर छपरा थाना दोहरीघाट, प्रेमचन्द्र पुत्र कुन्दन, देवा पुत्र राजेश निवासीगण टेघनियां थाना कोपागंज, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जयहिन्द पुत्र रामजीत, मुहम्मद गुफरान पुत्र अबरार निवासीगण सोहराबपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन पुलिस द्वारा लक्ष्मण, लल्लन पुत्रगण खरपत, श्रीकान्त पुत्र रामनक्षत्र निवासीगण धर्मपुर विशुनपुर, सुखबू चौहान पुत्र मुन्ना चौहान निवासी तालस्तोय थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।